Only for: Will/Attorny/Lease/Adoption & Correction Deed

2364/19

BAR ASSOCIATION DEHRADUN

उपहार पत्र
सब रजिस्ट्रार कार्यालय हेतु विवरण

क्रमांक A 10380

1.	मालियत उपहार पत्र	–	प्रेम एंव स्नेह
2.	सर्किल रेट अनुसार मूल्यांकन	–	मु0 25,52,000/–रूपये
3.	कुल स्टाम्प जो दिया गया	–	मु0 26,000/–रूपये
4.	कुल स्टाम्प शीट संख्या	–	01(ई–स्टाम्प)
5.	ई–स्टाम्प सार्टिफिकेट नं0	–	IN-UK 20294822314692R
6.	सम्पत्ति का प्रकार	–	आवासीय

7. प्रमुख क्षेत्र – नगर निगम सीमा में पूर्ण रूप से सम्मिलित क्षेत्र –मौजा सेवलाकलां, परगना पछवादून, तहसील व जिला देहरादून।

8. प्रमुख मार्ग की दूरी– उपहार में दी गयी सम्पत्ति मुख्य सहारनपुर रोंड से 1 कि0मी0 से अधिक की दूरी पर तथा मुख्य जी0एम0एस0 रोड से 51 मीटर से अधिक तथा 350 मीटर की दूरी के अन्तर्गत मौजा सेवलाकलां, परगना पछवादून, तहसील व जिला देहरादून पर 30 फीट चौडे रास्ते पर स्थित है।

9. विवरण सम्पत्ति – सम्पत्ति स्थित भूमि खाता खतौनी सं0 01313 (फसली वर्ष 1414 से 1419 के अनुसार) खसरा नं0 159ग रकबा 109.33 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर स्थित मौजा सेवलाकलां, परगना पछवादून, जिला देहरादून

10. उपहारदाता का नाम व पता – श्रीमती निर्मला जैन (आधार नं0 424351390601) पत्नी श्री सी0पी0 जैन (सी0पी0 वैश्य) निवासी– 16ए आनन्द चौक, देहरादून।

11. उपहारग्रहिता का नाम व पता – श्री विनीत जैन (आधार नं0 3715 1526 1228) पुत्र श्री सी0पी0 जैन (सी0पी0 वैश्य) निवासी– 4 शिमला एन्क्लेव, ईस्ट , पो0ओ0 माजरा, जिला देहरादून, उत्तराखण्ड।

Nirmala Jain Vineet Jain

2364/19

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttarakhand

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	IN-UK20294822314692R
Certificate Issued Date	:	14-Jun-2019 01:52 PM
Account Reference	:	NONACC (SV)/ uk1201304/ DEHRADUN/ UK-DH
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UKUK12013044257287792 4925R
Purchased by	:	VINEET JAIN
Description of Document	:	Article 33 Gift
Property Description	:	SEWLA KALAN DEHRADUN
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	SMT NIRMALA JAIN
Second Party	:	VINEET JAIN
Stamp Duty Paid By	:	VINEET JAIN
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	26,000 (Twenty Six Thousand only)

Incl.No.......... UMESH GUPTA STAMP VENDOR DEHRADUN

..............Please write or type below this line..............

Nirmala Jain

Vineet Jain

0001137082

Nirmala Jain

Vineet Jain

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.

उपहार पत्र

यह उपहार पत्र श्रीमती निर्मला जैन पत्नी श्री सी0पी0 जैन (सी0पी0 वैश्य) निवासी– 16ए आनन्द चौक, देहरादून (जिन्हें इस उपहारपत्र में आगे उपहारदाता कहकर सम्बोधित किया गया है।)

.....उपहारदाता

एवम्

श्री विनीत जैन पुत्र श्री सी0पी0 जैन (सी0पी0 वैश्य) निवासी– 4 शिमला एन्क्लेव, ईस्ट , पो0ओ0 माजरा, जिला देहरादून, उत्तराखण्ड (जिन्हें इस उपहारपत्र में आगे उपहारग्रहिता कहकर सम्बोधित किया गया है।)

.....उपहारग्रहिता

के मध्य अंकित व निष्पादित किया गया है।

इस उपहार पत्र में जहां जहां भी शब्द उपहारदाता व उपहारग्रहिता अथवा इनके पर्यायवाची शब्द प्रयुक्त हुए है, वहां वहां उनके अपने अपने उत्तराधिकारी, स्थानापन्न व हित प्रतिनिधि आदि भी सम्मिलित है। व सदैव सम्मिलित समझे जायेंगे।

विदित हो कि उपहारदाता सम्पत्ति जिसका पूर्ण विवरण इस उपहारपत्र के अन्त में दिया गया है, की संयुक्त रूप से स्वामी, अधिकारी व अधिपत्य में है। उपहारदाता ने निम्न वर्णित सम्पत्ति की भूमि उपहारग्रहिता श्री विनीत जैन तथा श्री अंकित जैन के साथ संयुक्त रूप से पूर्व स्वामी से पंजीकृत विकय पत्रो के माध्यम से कय की थी जो विकयपत्र सब रजिस्ट्रार कार्यालय देहरादून के यहां बही नं0 1 जिल्द 1 पृष्ठ 39 ए0डी0का0 बुक नं0 1 जिल्द 61 पृष्ठ 695 से 712 में नं0 981 पर दिनांक 13.02.1992 तथा बही नं0 1 जिल्द 1 पृष्ठ 39 ए0डी0का0 बुक नं0 1 जिल्द 61 पृष्ठ 809 से 826 में नं0 989 पर दिनांक 13.02.1992 को विधिवत रूप से दर्ज व पंजीकृत है तथा उपहारदाता का नाम उपरोक्त विकयपत्रो के आधार पर कय की गयी भूमि पर बतौर स्वामी दर्ज व अंकित चला आ रहा है । उपहारदाता एवं उसके अन्य सहस्वामी अर्थात उपहारग्रहिता व श्री अंकित जैन द्वारा भूमि उपरोक्त विकयपत्रो के माध्यम से कय करने के पश्चात उस पर आवासीय भवन का निर्माण किया गया तथा इस प्रकार उपहारदाता , उपहारग्रहिता व श्री अंकित जैन सम्पत्ति के संयुक्त रूप से स्वामी, अधिकारी व अधिपत्य में हुए । श्री अंकित जैन पुत्र श्री सी0पी0 जैन (श्री सी0पी0 वैश्य) सम्पत्ति में स्थित अपना अविभाजित भाग पंजीकृत विकयपत्र के माध्यम से उपहारग्रहिता को पहले ही विकीत किया जा चुका है तथा अब सम्पत्ति में स्थित उपहारदाता वाला सम्पूर्ण भाग इस उपहारपत्र के माध्यम से उपहारग्रहिता को उपहार स्वरूप प्रदान किया जा रहा है तथा इसके पश्चात उपहारदाता अथवा श्री अंकित जैन का सम्पत्ति में कोई भाग शेष नही है।

Nirmala Jain

Vineet Jain

विदित हो कि उपहारदाता सम्पत्ति में स्थित अपने भाग की पूर्ण रूप से स्वामी, अधिकारी व अधिपत्य में है तथा उपहारदाता को सम्पत्ति में स्थित अपने भाग को हर प्रकार से विकय करने, हस्तान्तरित करने अथवा उपहार में देने के समस्त अधिकार मालिकाना प्राप्त है।

विदित हो कि उपहारगृहिता उपहारदाता का पुत्र है उपहारदाता को उपहारगृहिता से प्रेम अत्यन्त प्रेम व स्नेह है जिसके फलस्वरूप उपहारदाता अपनी कुल सम्पत्ति जिसका पूर्ण विवरण इस उपहारपत्र के अन्त में दिया गया है, बिना किसी प्रतिफल के स्वेच्छा से उपहारगृहिता को उपहार में देना चाहती है जिसे उपहारगृहिता ने बतौर उपहार लेना स्वीकार कर लिया है।

विदित हो कि उपहार में दी गयी सम्पत्ति आज तक हर प्रकार भार, बन्धन, विकय दान, वसीयत, ऋण, सरकारी अथवा, गैर सरकारी आदि से तथा हर प्रकार के बाद विवादों से सर्वथा मुक्त है और न ही उपहार में दी गयी सम्पत्ति की बाबत किसी भी न्यायलय में कोई कार्यवाही, अर्जन, कुर्की आदि लम्बित है।

अतः उपहारदाता ने निम्न सम्पत्ति जिसका पूर्ण विवरण उपहार पत्र के अंत में दिया गया है को मय अधिकार मालिकाना, रास्ता आवागमन व उन समस्त अधिकारों व सुखाधिकारों सहित कि जो – जो भी व अधिकार व सुखधिकार आत तक उपहारदाता को निम्न सम्पत्ति मे प्राप्त अथवा भविष्य में प्राप्त होने सम्भव है उन सबको अपने पूर्ण होश हवास में, बिना किसी जोर दवाव के स्वस्थ मस्तिष्क व इन्द्रियों की दशा में बदस्त उपहारदाता अपने पुत्र श्री विनीत जैन पुत्र श्री सी0पी0 जैन (सी0पी0 वैश्य) निवासी– 4 शिमला एन्क्लेव, ईस्ट , पो0ओ0 माजरा, जिला देहरादून, उत्तराखण्ड को पूर्ण रूप तथा हर प्रकार से बतौर उपहार दे दी है और उपहारग्रहिता ने भी स्वेच्छा से निम्न सम्पत्ति उपहार में लेनी स्वीकार कर ली है तथा स्वीकारोक्ति स्वरूप अपने हस्ताक्षर इस विलेख मे कर दिए है।

विदित हो कि आज से उपहारग्रहिता को अधिकार होगा कि वह उपहार में दी गयी सम्पत्ति को बतौर स्वामी जिस प्रकार चाहें प्रयोग करें, लाभ उठावे, हर प्रकार से अपने उपयोग आदि में लावे, रहन, विकय, दान, वसीयत आदि करें, परिवर्तन परिवर्द्धन आदि करें, बिजली पानी कनैक्शन आदि अपने नाम से प्राप्त करें अथवा पूर्व में विद्यमान को अपने नाम में स्थानान्तरित करावें, नगर निगम देहरादून/राजस्व अभिलेखों व अन्य सरकारी अभिलेखों आदि में अपना नाम बतौर स्वामी अंकित करावें, उपहारदाता को कोई आपत्ति नहीं होगी। आज के बाद उपहारदाता को उपहारग्रहिता के अधिकार में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं होगा। आज से उपहारग्रहिता निम्न सम्पत्ति के एकमात्र मालिक, स्वामी व काबिज हो गये है। आज से उपहारदाता व उसके अन्य किसी भी पारिवारिक सदस्य तथा वारिस आदि का उपहार में दी गयी सम्पत्ति से अथवा उसके किसी भाग से कोई सम्बन्ध नहीं रहा है तथा न ही कभी होगा।

Nirmala Jain

Vineet Jain

उपहार में दी गयी सम्पत्ति पर आज तक के जो भी टैक्स/कर/लगान आदि देय है, उन सबको अदा करने की जिम्मेदारी उपहारदाता की है, आज के बाद से उपहारग्रहिता अदा करेंगें। यादि उपहारग्रहिता को भविष्य में उपहारदाता से उपहार में दी गयी सम्पत्ति के स्वामित्व, आधिकार व कब्जे आदि की पुष्टि हेतु कोई अन्य लेख आदि लिखाने की आवश्यकता हुई तो उपहारदाता ऐसा लेख उपहारग्रहिता के व्यय व उसकी पूर्व लिखित सूचना पर लिखने के लिये सदैव तैयार रहेंगे। यह कि यह स्पष्ट किया जाता है कि इस उपहारपत्र के पश्चात उपहारग्रहिता सम्पत्ति में पहले से स्थित अपने 2/3 भाग के साथ इस उपहारपत्र के माध्यम से प्राप्त हुए 1/3 भाग के साथ कुल सम्पत्ति के पूर्ण रूप से स्वामी, अधिकारी व अधिपत्य में होगे।

सम्पत्ति का मूल्यांकन :– उपहार में दी गयी सम्पत्ति मुख्य सहारनपुर रोंड से 1 कि0मी0 से अधिक की दूरी पर तथा मुख्य जी0एम0एस0 रोड से 51 मीटर से अधिक तथा 350 मीटर की दूरी के अन्तर्गत मौजा सेवलाकलां, परगना पछवादून, तहसील व जिला देहरादून पर 30 फीट चौडे रास्ते पर स्थित है। भूमि की निर्धारित सरकारी बेस दर मु0 17,000/– रूपये प्रति वर्गमीटर है जिस पर आवागमन हेतु 25 फुट चौडा रास्ता उपलब्ध होने के कारण भूमि की बेस दर पर 5 प्रतिशत के अतिरिक्त वृद्धि करने के पश्चात भूमि की सरकारी बेस दर मु0 17850/–रूपये हो जाती है जिसके अनुसार उपहार में दी गयी सम्पत्ति की भूमि का मूल्यांकन 17850 X 109.33 =19,52,000/- रूपये से कम आता है। सम्पत्ति में स्थित उपहारदाता का निर्मित क्षेत्रफल लगभग 50 वर्गमीटर है जो साधारण श्रेणी का लगभग 5 वर्ष पुराना आवासीय निर्माण है जिसका मूल्यांकन बिना कोई क्षरण कम किये 50 X 12000=6,00,000/–रूपये आता है । इस प्रकार उपहार में दी गयी सम्पत्ति का कुल मूल्यांकन मु0 25,52,000/–रूपये से कम आता है जिस पर स्टाम्प शुल्क 1 प्रतिशत की दर से मु 26,000/– रूपये का अदा किया जा रहा है।

वांछित विवरण

1. उपहारदाता एवं उपहारग्रहिता आपस में माता व पुत्र है। सम्पत्ति नगर निगम देहरादून की सीमा के अन्तर्गत मौजा सेवलाकलां, परगना पछवादून, जिला देहरादून में स्थित है, अतः उपहार विलेख मे वर्णित सम्पत्ति पर उत्तराखण्ड भू–अधिनियम के प्राविधान लागू नही होते है।
2. उपहार में दी गयी भूमि में कोई पेड़, बाग, बाउड्री वॉल आदि नहीं है।
3. पक्षकारो के बीच कोई पंजीकृत अनुबन्ध नहीं हो रखा है।
4. उपहार में दी गयी सम्पत्ति भूखण्ड के सम्बन्ध में नगर भूमि सीमा रोपण अधिनियम 1976 की धारा 5 (3) 10 (3) तथा धारा 20 के अन्तर्गत कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है।
5. उपहारदाता एवं उपहारग्रहिता अनुसूचित जाति जनजाति से सम्बन्धित नहीं है।

Nirmala Jain Vineet Jain

विवरण उपहार में दी गयी भूमि

सम्पत्ति स्थित भूमि खाता खतौनी सं0 01313 (फसली वर्ष 1414 से 1419 के अनुसार) खसरा नं0 159ग रकबा 109.33 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर मय अधिकार छत आकाशातीत , मय अनुलग्नक भूमि स्थित मौजा सेवलाकलां, परगना पछवादून, जिला देहरादून जिस सम्पूर्ण सम्पत्ति की सीमायें निम्न प्रकार है :–

पूरब में	–	सम्पत्ति श्री आत्मा सिंह वर्तमान सम्पत्ति श्री मुनियाल , सीमा में नाप 83 फीट
पश्चिम में	–	सम्पत्ति श्री सिंघल, सीमा में नाप 84 फीट
उत्तर में	–	30 फीट चौडा रास्ता, सीमा में नाप 42 फीट
दक्षिण में	–	सम्पत्ति श्री जे0पी0 जैन वर्तमान में सम्पत्ति श्री अतुलेश अग्रवाल व अन्य, सीमा में नाप 42 फीट

अतः यह उपहारपत्र अंकित कर दिया कि प्रमाण रहे और समय अनुसार काम आये। इतिलिखित दिनांक 14.06.2019 स्थान कचहरी जिला देहरादून।

इस उपहारपत्र पर हस्ताक्षर करने से पूर्व उपहारदाता उपहारग्रहिता न उपहार पत्र में अंकित समस्त लेख पढ़कर समझकर तथा पूर्ण रूप से सन्तुष्ट होने के पश्चात् अपने हस्ताक्षर किये। उपहारदाता एंव उपहारग्रहिता ने एक–दूसरे की पहचान स्वंय की

रजिस्टशन अधिनियम 1908 की धारा 32–ए अनुपालन हेतु फिंगर प्रिटंस

उपहारदाता का नाम :– श्रीमती निर्मला जैन

बायें हाथ (Left Hand) की अंगुलियों के चिन्ह्

अंगुष्ठ | तर्जनी | मध्यमा | अनामिका | कनिष्ठिका

दायें हाथ (Right Hand) की अंगुलियों के चिन्ह्

अंगुष्ठ | तर्जनी | मध्यमा | अनामिका | कनिष्ठिका

Nirmala Jain

उपहारदाता के हस्ताक्षर

उपहारग्रहिता का नाम :– श्री अंकित जैन

बायें हाथ (Left Hand) की अंगुलियों के चिन्ह्

अंगुष्ठ तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठिका

दायें हाथ (Right Hand) की अंगुलियों के चिन्ह्

अंगुष्ठ तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठिका

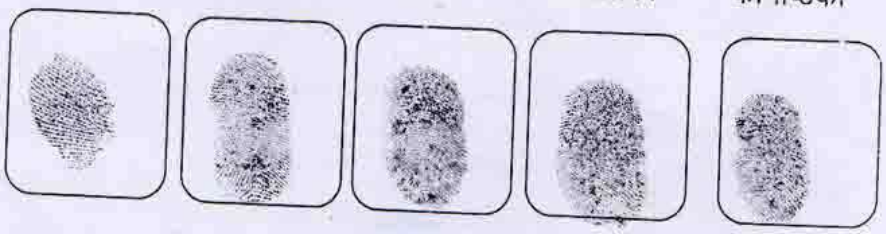

Nirmala Jain

Vineet Jain
उपहारग्रहिता के हस्ताक्षर

साक्षी नं0 1
प्रेरित सिंघल एडवोकेट
कोर्ट कम्पाउन्ड, देहरादून
रजिस्ट्रेशन नं0 – 7793/03

साक्षी नं 02
शुभम रावत
पुत्र श्री बी0एस0 रावत
निवासी– पित्थूवाला, देहरादून
डी0एल0 नं0–UK–0720140326575

इस उपहार पत्र संरचना पक्षकारों द्वारा उपलब्ध गये प्रापत्रों उनके निर्देशों के आधार पर गयी है।

रचियता :– प्रेरित सिंघल एडवोकेट कोर्ट कम्पाउण्ड देहरादून।

Prerit Singhal
(M.SC.LL.B.,LL.M.) Advocate
Reg. No. UP-7793/03.UK-324/12
Court Compound Dehradun

मानचित्र

सम्पत्ति स्थित भूमि खाता खतौनी सं0 01313 (फसली वर्ष 1414 से 1419 के अनुसार) खसरा नं0 159ग रकबा 109.33 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर मय अधिकार छत आकाशातीत , मय अनुलग्नक भूमि स्थित मौजा सेवलाकलां, परगना पछवादून, जिला देहरादून

उपहारदाता का नाम– श्रीमती निर्मला जैन

उपहारग्रहिता का नाम– श्री विनीत जैन

उपहार में दी गयी सम्पत्ति लाल रंग की रेखाओ द्वारा दर्शायी गयी है।

बिना परिमाप

उत्तर

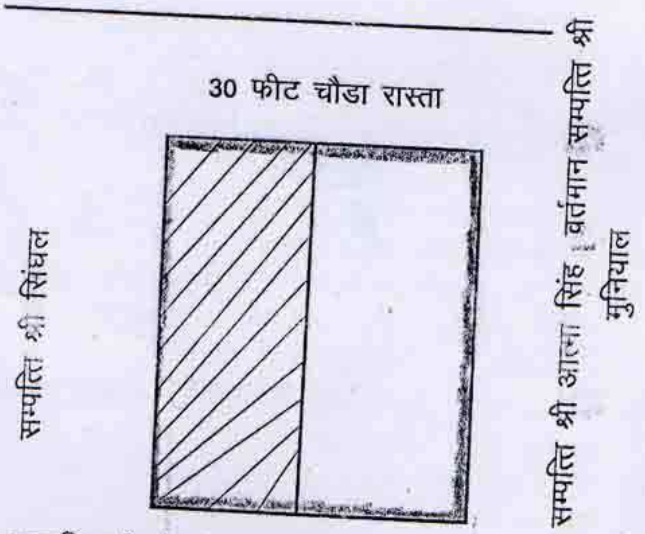

Nirmala Jain

हस्ताक्षर उपहारदाता

हस्ताक्षर उपहारग्रहिता

(910)

981

विक्रय पत्र

मालियत विक्रय पत्र 47650 रुपये

बाजारी मूल्य जिस पर स्टाम्प दिया है 47650 रुपये

स्टाम्प शीट की संख्या 6 शीट

स्टाम्प शुल्क 6960 रुपये आवास विकास शुल्क शामिल है कुल स्टाम्प का योग 6960 रुपये

मैं / हम कि श्री पूरण सिंह 2- श्री धर्म सिंह व 3- श्री कर्म सिंह, तीनो पुत्रगण श्री शंकर लाल निवासीगण सेवला पुर्व परगना केन्द्रीय दून जिला देहरादून

निम्नलिखित सम्पत्ति बाकै स्थित ग्राम सेवला कलाँ परगना केन्द्रीय दून जिला देहरादून.

के मालिक व काबिज है और हमारी यह सम्पत्ति हर प्रकार के भार व रहन में मुक्त है उसको बदस्त श्री 1- श्री विनीत जैन, 2- श्री अंकित जैन, दोनो पुत्रगण श्री सी०पी० जैन एवं 3- श्रीमती निर्मलादेवी जैन पत्नि श्री सी०पी० जैन तीनो निवासीगण 1/69 आनन्द चौक देहरादून

विक्रय कर दिया है बदले में विक्रय धन विक्रयपत्र में वर्णित अनुसार

जो निम्न प्रकार वसूल पाया

विवरण सहित बाकै

विक्रयपत्र के अन्त में पृष्ठ में वर्णित

2000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

२000रु.

Rs 2000

सत्यमेव जयते

भारत

दो हज़ार रुपये

TWO THOUSAND RUPEES

विक्रयपत्र

1- श्री पूरण सिंह, 2- श्री धर्म सिंह व 3- श्री कर्म सिंह, तीनो पुत्रगण श्री शंकर लाल, निवासीगण सेवला खुर्द परगना सेन्ट्रल दून जिला देहरादून

------- विक्रेतागण

एवं

1- श्री विनीत जैन, 2- श्री अमित जैन, दोनो पुत्रगण श्री पी०पी० जैन एवं 3- श्रीमती निर्मला जैन पत्नि श्री पी०पी० जैन, तीनो निवासीगण 16ए आनन्द चौक देहरादून -------------------- क्रेतागण

जो कि हम विक्रेतागण खसरा नं० 409/ खाता खतौनी सं० 149 स्थित ग्राम सेवला कलाँ परगना सेन्ट्रल दून जिला देहरादून जिसका विवरण इस विक्रयपत्र के अन्त मे सूची मे दिया गया है, के 1/2 अविभाजित भाग तन्हा मालिक काबिज एवं मुस्तकिल है इसमें विक्रेतागण का कोई साझी व भागीदार नहीं है।

2000Rs

INDIA NON JUDICIAL

२000रु. Rs 2000

भारत

दो हजार रुपये TWO THOUSAND RUPEES

(2)

और यह कि विक्रीत की जाने वाली सम्पत्ति के विक्रय के सम्बन्ध मे विक्रेतागण ने एक इकरारनामा दिनांक 15-1-90 को श्री प्रवीन मित्र पुत्र श्री वीरेन्द्र मित्र निवासी 26 मिलो कोलिन कम्पलैक्स सहारनपुर रोड देहरादून के साथ किया था कथित संविदापत्र बही नं० 1 की जिल्द संख्या 3781 के पृष्ठ 40 मे नं० 13945 पर दिनांक 23-1-90 को पंजीकृत हुआ था कथित संविदापत्र के अन्तर्गत श्री प्रवीन मित्र को अधिकार दिया गया था कि वह विक्रयपत्र अपने नाम से अंकित करावे अथवा अपने मनोनीत व्यक्ति/व्यक्तियो के नाम से पंजीकृत करावे. श्री प्रवीन मित्र ने क्रेतागण को कथित संविदापत्र के अन्तर्गत रजिस्ट्री हेतु मनोनीत किया है.

अतः विक्रेतागण प्रस्तुत विक्रयपत्र सम्पादित कर रहे है,

और यह कि विक्रेतागण इस विक्रयपत्र के अन्त मे दी गयी सम्पत्ति के मालिक भूमिधर है कथित भूमि विक्रेतागण की पैतृक भूमि थी तथा [illegible]

2000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

२000रु. Rs 2000

भारत

दो हजार रुपये TWO THOUSAND RUPEES

रिकार्ड मे भी विक्रेतागण का नाम आये भाग के सम्बन्ध मे अंकित है. विक्रेतागण को निम्नलिखित भूमि विक्रय करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है. विक्रेतागण ने निम्न भूमि क्रेतागण के हक मे मुबलिग 47650 रुपये अक्षरन सैतालीस हजार छै सौ पचास रुपये मे विक्रय कर दी है. मुबलिग 47650 रुपये क्रेतागण ने विक्रेतागण को नकद सब रजिस्ट्रार महोदय के समक्ष रजिस्ट्री के समय अदा कर दिये है. जिसकी प्राप्ति विक्रेतागण को एतद्द्वारा स्वीकार है.

और जो कि विक्रीत भूमि का निर्विवाद मालिकाना वाली कब्जा विक्रेतागण ने मौके पर क्रेतागण को अपने जैसा करा दिया है और आज से क्रेतागण को पूर्ण अधिकार होगा कि वे इस भूमि को जिस प्रकार चाहे इस्तेमाल करे, निर्माण करे, विक्रय करे, और इसमे विक्रेतागण को अथवा उनके किसी उत्तराधिकारी को कोई आपत्ति किसी प्रकार की नही होगी.

750 Rs.

INDIA
७५० रु. Rs 750
भारत
सात सौ पचास रुपये SEVEN HUNDRED & FIFTY RUPEES

और यह कि विक्रीत की जाने वाली भूमि के समस्त कर लगान इत्यादि आज से क्रेतागण अदा करेंगे और इससे पूर्व की जिम्मेदारी विक्रेतागण की होगी.

और यह कि यदि भविष्य में विक्रेतागण के स्वामित्व व अधिकार दोष के कारण विक्रीत की जाने वाली भूमि अथवा उसका कोई भाग क्रेतागण के कब्जे व स्वामित्व से निकल जावे तो ऐसी दशा में क्रेतागण को अधिकार होगा कि निकले हुवे भाग की कीमत मय हर्जा खर्चा व बढ़ोतरी सहित विक्रेतागण व उनकी सम्पत्ति से जिस प्रकार चाहे प्राप्त कर ले.

क्रेतागण को अधिकार होगा कि वे राजस्व अभिलेखों से विक्रेतागण का नाम खारिज कराकर अपना नाम बतौर मालिक दर्ज करा लेवे और इस बाबत क्रेतागण को किसी प्रकार के दस्तावेज आदि लिखवाने की आवश्यकता हो तो ऐसा लेख क्रेतागण के खर्चे पर लिखने में विक्रेतागण को कोई आपत्ति किसी प्रकार की नहीं होगी.

और जो कि विक्रेतागण ने क्रेतागण को यह आश्वासन दिया है कि विक्रीत भूमि हर प्रकार के भार-बन्धन, कुर्की, जमानत आदि से पूर्णतः मुक्त है विक्रीत भूमि मे कोई साझे या भागीदार नही है.

यहकि विक्रीत की जाने वाली भूमि मे कोई बाग पेड़ आदि नही है.

यहकि इस विक्रयपत्र मे शब्द 'विक्रेतागण' एवं 'क्रेतागण' के अन्तर्गत उनके वैध प्रतिनिधि, कानूनी उत्तराधिकारी एवं स्थानापन्न आदि सम्मलित है.

अपेक्षित विवरण

1- विक्रेता किसी प्रकार हरिजन या अनुसूचित जनजाति के नही है.

2- विक्रीत भूमि नगरपालिका सीमा से लगभग 5कि0मी0दूरी पर स्थित है.

3- विक्रीत भूमि मुख्य सहारनपुर रोड से लगभग एक कि0मी0 दूरी पर स्थित है.

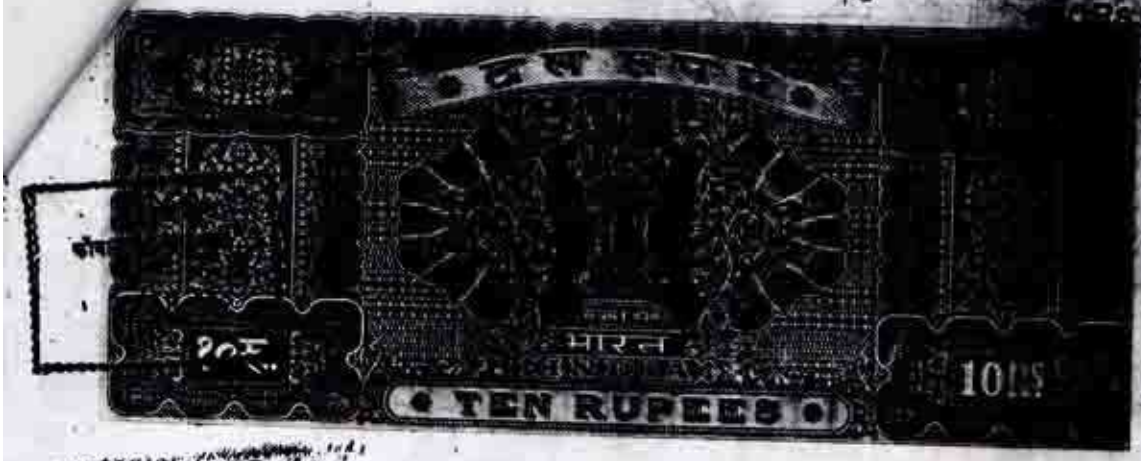

(6)

4- क्रीत भूमि नगर भूमि सीमा रोपण अधिनियम से मुक्त है तथा अरबन एग्लोमरेशन क्षेत्र से बाहर है.

5- विक्रीत भूमि का सर्किल रेट 5,50,000 रुपये प्रति एकड़ है विक्रयमूल्य 47650 रुपये है जो कि सर्किल रेट से अधिक है नियमानुसार विक्रीत राशि जो कि अधिक है पर स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है.

विवरण विक्रीत भूमि

~~[illegible]~~ (प्राइवेट प्लाट न० 6) खसरा न० 409 खाता
का आंशिक अविभाजित भाग, (.0445 [illegible])
खतौनी संख्या 149 क्षेत्रफल .0823 एकड़ (389.67 वर्गगज) स्थित ग्राम सेवला कलाँ परगना केन्द्रीय दून जिला देहरादून जिसको संलग्न मानचित्र में लाल रंग से दर्शाया गया है तथा जिसकी सीमायें निम्न प्रकार है :-

उत्तर में:- 30 फीट चौड़ी सड़क नाप 42 फीट

दक्षिण में:- सम्पत्ति श्री [illegible] जैन नाप 42 फीट

पूरब में:- सम्पत्ति श्री महिपाल सिंह नाप 63 फीट

पश्चिम में:- सम्पत्ति विक्रेतागण नाप [illegible] फीट

[signatures]

अतः यह विक्रयपत्र सम्पादित कर दिया कि प्रमाण रहे और समय पर उपयोगी हो लिखित दिनांक [illegible] 1992 ई० स्थान देहरादून.

गवाह :-

विक्रेतागण

1 ----------

1 ----------

2 ----------

2 ----------

3 ----------

मसविदा एवं लेख प्रमाणित [illegible]

टाईपकर्ता:- दीपक कुमार [illegible] देहरादून

बही नं. 1 जिल्द ...... 1 ...... के पृष्ठ 39

ए.डी.का.बुक 1 ज़िल्द 61 के पृष्ठ 695/712

क्रमांक नं. 2181 पर आज दिनांक 13/2/92

को रजिस्ट्री की गई

[illegible]

प्रधान मोहरिर कार्य पूरक [illegible]

[illegible] [illegible]

Ex 18
8801/08

विक्रय पत्र

मालियत विक्रय पत्र १,००,०००/- रुपये

बाजारी मूल्य जिस पर स्टाम्प दिया है १,६६,२००/- रुपये

स्टाम्प शीट की संख्या ६ शीट्स

स्टाम्प शुल्क १३,६००/- आवास विकास शुल्क शून्य कुल स्टाम्प का योग १३,६००/-

मैं/हम कि

मैं कि अंकित जैन पुत्र श्री डी०पी० वैश्य,

निवासी १६-ए आनन्द चौक, देहरादून का हूं

-- विक्रेता

के मालिक व काबिज है और हमारी यह सम्पत्ति हर प्रकार के भार व रहन से मुक्त है। उसको बदस्त श्री

श्री विनीत जैन पुत्र श्री डी०पी० वैश्य,

निवासी १६-ए आनन्द चौक, देहरादून।

-- क्रेता

विक्रय कर दिया है। बदले में विक्रय धन १,००,०००/- रुपये

. को निम्न प्रकार वसूल पाला प्राप्त कर लिये हैं। -

विवरण सहित बाकै

विवरण विक्रयपत्र के अन्त मे दिया गया है। -

Ankit Jain
Vineet Jain

भारतीय गैर न्यायिक

10000 रु. Rs.10000

दस हजार रुपये

RUPEES TEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

निर्गत किया
26 OCT 2006
मुख्य कोषाधिकारी
कोषागार, देहरादून

उत्तरांचल UTTARANCHAL 340939

वांछित विवरण :-

सुमन प्रजापति एडवोकेट

१- विक्रेता व क्रेता दोनो सगे भाई है ।

२- विक्रीत भूमि मे कोई पेड या बाग नही है ।

३- विक्रीत भूमि मुख्य सहारनपुर मार्ग से १ कि०मी० से अधिक दूरी पर स्थित है।

४- विक्रीत भूमि की तयशुदा कीमत १,००,०००/- रुपये है परन्तु निर्धारित सर्किल रेट लिस्ट के पृष्ठ २ पर सेवला खुर्द पर १२५०/- रुपये प्रतिवर्गमीटर की दर से विक्रीत रकबा १०८.६० वर्गमीटर की मालियत १,३६,०००/- रुपये होती है जिस पर नियमानुसार १३६००/- रुपये का स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है ।

५- विक्रीत भूमि नगरनिगम की सीमा से बाहर स्थित है ।

६- विक्रीत भूमि सीलिंग वाद से मुक्त है ।

७- क्रेता के नाम पर विक्रीत सम्पत्ति का १/३ भाग वर्ष १९९२ मे क्रय किया हुआ है जो आज तक विक्रय नही किया गया है ।

सुमन प्रजापति एडवोकेट

८- विक्रेता व क्रेता के मध्य पूर्व मे अनुबन्ध-पत्र पंजीकृत नही हुआ है ।

९- विक्रेता व क्रेता के फोटो सुमन लता प्रजापति एडवोकेट द्वारा सत्यापित किये गये है।-

--

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तरांचल UTTARANCHAL

101383

सहायक कोषाधिकारी (कैश)
कोषागार, देहरादून

मै कि अंकित जैन पुत्र श्री ओ०पी० वैश्य,
निवासी १८-५ आनन्द चौक, देहरादून का हूं।

-- विक्रेता

एवम्

श्री विनीत जैन पुत्र श्री ओ०पी० वैश्य,
निवासी १८-५ आनन्द चौक, देहरादून।

-- क्रेता

विदित हो कि मैं विक्रेता निम्नलिखित भूमि जिसका पूर्ण विवरण इस विक्रयपत्र के अन्त मे दिया गया है, को अपने भाई क्रेता व अपनी माता के साथ संयुक्त रूप से दो अलग- अलग विक्रयपत्रों के द्वारा क्रय की [illegible] है जो कि महेन्द्रसिंह पुत्र [illegible] डालचन्द से बजरिये विक्रयपत्र दिनांक ५-२-६२ जिसकी रजिस्ट्री बही १ जिल्द १ पृष्ठ ३८ प०डी० फा० बुक १ जिल्द ६१ पृष्ठ ८०८/८२८ मे नं०८८८ पर दि० १३-२-६२ को व पूर्णसिंह आदि से बजरिये विक्रयपत्र दिनांक ५-२-६२ को जिसकी रजिस्ट्री बही १ जिल्द १ पृष्ठ ३८ प०डी०फा० बुक १ जिल्द ६१ के पृष्ठ ६६५/७१२ मे नं०८८१ पर दि०१३-२-६२ को विधिवत् पंजीकृत है तथा क्रय करने के दिन से निम्नलिखित भूमि अन्य भूमि सहित मुझ विक्रेता व क्रेता व अन्य हकदारदार के कब्जे व स्वामित्व मे की जा रही है और हम पक्षकार मैं का आपसी घरेलु बंटवारा हो चुका है जिसके आधार पर मुझ

--

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तरांचल UTTARANCHAL 101384

13 MAY 2006

स्टाम्प कोषाधिकारी (केन्द्र) कोषागार, देहरादून

विक्रेता का १/२ भाग अर्थात निम्नलिखित भूमि मुझे प्राप्त हुई है और मुझ विक्रेता को अपने १/२ भाग को हर प्रकार से हस्तान्तरण करने के अधिकार प्राप्त हैं। निम्नलिखित भूमि एवं उसका हक हर प्रकार के भार-बन्धन, रहन, विक्रय, ऋण, कुर्की, जमानत, विवादो आदि से मुक्त व रहित है। निम्नलिखित भूमि को विक्रय करने की बातचीत अपने खरीददार क्रेता के साथ तय की हुई है अतः उसी प्रतिपूर्ति मे यह विक्रयपत्र सम्पन्न किया जाता है। अतएव अब मुझ विक्रेता ने अपने स्थिर मन, बुद्धि, मस्तिष्क व इन्द्रियों की स्वस्थ दशा मे बिना किसी के सिखलाये बहकाये व बिना किसी अनुचित दबाव के वरन् अपनी स्वतंत्र इच्छा से निम्नलिखित भूमि श्री विनीत जैन पुत्र श्री डी०पी० वैश्य निवासी १६-५ आनन्द चौक देहरादून को रु०१,००,०००/- एक लाख रुपये मे विक्रय कर दी है और कुल विक्रय मूल्य मुझ विक्रेता ने क्रेता से पहले ही नकद प्राप्त कर लिये जिसकी प्राप्ति मै विक्रेता एतद्द्वारा स्वीकार करता हूं। कीमत के मद्दे लेना कुछ भी शेष नही रहा है। -

कब्जा दखल मुझ विक्रेता ने निम्नलिखित भूमि से अपना हटाकर व उठाकर मौके पर क्रेता महोदय का अपने समान करा दिया है जो जो

--

Ankit Jain

Vineet Jain

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तरांचल UTTARANCHAL 101385

अधिकार युक्त विक्रेता को निम्नलिखित भूमि मे वास्ते मालिकाना , रास्ता , नाली ,पानी ,हवा ,रोशनी आदि की बाबत प्राप्त थे अथवा भविष्य मे प्राप्त होने सम्भव हों ,उन सबके मालिक आज से क्रेता महोदय हो गये है। क्रेता महोदय को अधिकार होगा कि वह निम्नलिखित भूमि पर काबिज होकर जिस प्रकार चाहे लाभ उठावे अपने उपयोग व उपभोग मे लावे ,निर्माण बनावे ,मानचित्र स्वीकृत करावे अथवा अन्य व्यक्ति को विक्रय ,दान आदि द्वारा हस्तान्तरित करे इसमे मुझ विक्रेता व मेरे किसी उत्तराधिकारी को कोई आपत्ति नही होगी ।-

क्रेता महोदय को अधिकार होगा कि वह विक्रीत भूमि के अभिलेखों से मुझ विक्रेता का नाम खारिज कराकर अपना नाम बतौर मालिक ,स्वामी दर्ज करावे ।यदि नामान्तरण की कार्यवाही क्रेता मेरे लेख लिखने या बयान देने की आवश्यकता होगी तो मै ऐसी समस्त कार्यवाही क्रेता के व्यय पर करने के लिये तैयार रहूंगा और कोई आपत्ति नही करूंगा ।-

यदि भविष्य मे मुझ विक्रेता के अधिकार दोष के कारण विक्रीत भूमि या उसका कोई भाग क्रेता के कब्जे व स्वामित्व से निकल जावे तो ऐसी दशा मे निकल गये भाग भूमि की कीमत मय हर्जा खर्चा के मुझसे प्राप्त करेंगे ।-

Ankit Kalra

Vineet Jain

--

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तरांचल UTTARANCHAL 177234

- विवरण विक्रीत भूमि -

भूमि (प्राइवेट प्लाट सं०८ का भाग) वाला खतौनी सं० १४६ खसरा नम्बर ४०६ रकबा ३२५.८० वर्गमीटर अर्थात ३८९.६७ वर्गगज अर्थात ०.०८२२ एकड़ रकबा मैं मुझ विक्रेता का १/३ भाग अर्थात १०८.६० वर्गमीटर, स्थित मौजा डोबला, क्वां, परगना केन्द्रीय दून जिला देहरादून जिसकी सीमायें निम्न प्रकार हैं :-

पूरब मे :- भूमि क्रेता/हकदारान विनीत जैन सीमा मे ८३ फीट

पश्चिम मे:- भूमि हकदारान श्रीमती निर्मला जैन सीमा मे ८४ फीट

उत्तर मे :- २० फीट चौड़ी सड़क, सीमा मे १४ फीट

दक्षिण मे :- सम्पत्ति अन्य, सीमा मे १४ फीट

--

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये **Rs. 100**

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तरांचल UTTARANCHAL

A 967786

- ७ -

DEC 2006

कोषागार, देहरादून

अतः यह विक्रयपत्र अंकित कर दिया कि प्रमाणरहे और समयानुसार उपयोगी हो। इति दिनांक १६-१२-२००६ स्थान देहरादून।-

विक्रेता - अंकित जैन के बाये हाथ की अंगुलियों के चिन्ह

अंगूठा तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठिका

दाये हाथ की अंगुलियों के चिन्ह

अंगूठा तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठिका

क्रेता - विनीत जैन के बाये हाथ की अंगुलियों के चिन्ह

अंगूठा तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठिका

दाये हाथ की अंगुलियों के चिन्ह

अंगूठा तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठिका

गवाह--- गवाह---

(Devender Kr. Jain)

सुमन प्रजापति
एडवोकेट

रचयिता :- सुमनलता प्रजापति एडवोकेट देहरादून ।-

टाईपकर्ता :- एन० के० शर्मा ,देहरादून ।

SITE PLAN OF LAND KH. No. 409 AT
MAUZA SEWLA KALA PARGANA
KENDRIYA DOON. D. DUN.
SOLD BY:. SH. ANKIT JAIN

SOLD TO:. SH. VINEET JAIN:

SOLD AREA SHOWN RED
TOTAL AREA: 108.60 SQ MT.

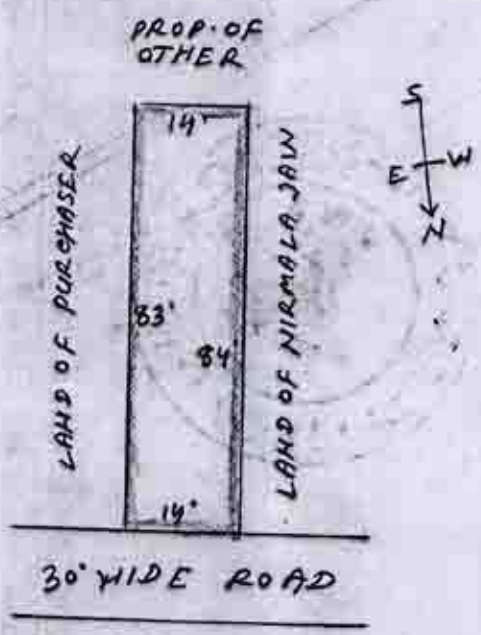

SIG. OF SELLER

PURCHASER

989

विक्रय पत्र

मालियत विक्रय पत्र 47650 रुपये

बाजारी मूल्य जिस पर स्टाम्प दिया है 47650 रुपये

स्टाम्प शीट की संख्या 7 शीट

स्टाम्प शुल्क 6960 रुपये आवास विकास शुल्क सम्मिलित है कुल स्टाम्प का योग 6960 रुपये

मैं / हम कि श्री महेन्द्र सिंह पुत्र स्व० श्री [illegible] निवासी ग्राम [illegible] करनाल

[illegible] जिला देहरादून, विक्रेता के अन्तर्गत उनके [illegible] प्रतिनिधि

कानूनी उत्तराधिकारी एवं स्थानापन्न आदि सम्मिलित है,

कि

निम्नलिखित सम्पत्ति बाबे

स्थित ग्राम [illegible] करनाल [illegible] जिला

देहरादून.

के मालिक व काबिज है और हमारी वह सम्पत्ति हर प्रकार के भार व रहन से मुक्त है उसको

बदस्त श्री 1- श्री [illegible] 2- श्री [illegible] दोनों पुत्रगण श्री [illegible]

व 3- [illegible] पत्नी श्री [illegible], तीनों निवासीगण

[illegible] आनन्द चौक देहरादून, क्रेतागण के अन्तर्गत उनके [illegible] प्रतिनिधि

कानूनी उत्तराधिकारी एवं स्थानापन्न आदि सम्मिलित है

विक्रय कर दिया है बदले में विक्रय धन

विक्रयपत्र में वर्णित अनुसार

को निम्न प्रकार वसूल पाया

विवरण सहित बाबे

विक्रयपत्र के अन्त में पृष्ठ [illegible] वर्णित

[illegible signature]

3000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

३000 रु.

Rs 3000

सत्यमेव जयते

भारत

तीन हजार रूपये THREE THOUSAND RUPEES

विक्रयपत्र

श्री महेन्द्र सिंह पुत्र स्व० श्री [illegible] निवासी ग्राम [illegible] परगना [illegible] दून जिला देहरादून ------------------ विक्रेता

एवं

1- श्री विनोद जैन

2- श्री अमित जैन, दोनों पुत्रगण श्री जी०सी० जैन एवं 3- श्रीमती निर्मला जैन पत्नी श्री जी०सी० जैन, तीनों निवासीगण 168 [illegible] देहरादून. ------------------ क्रेतागण

जो कि श्री विक्रेता खसरा नं० 407 स्थित ग्राम [illegible] [illegible] तहसील [illegible] परगना [illegible] दून जिला देहरादून जिसका विवरण इस विक्रयपत्र के अन्त में सूची में दिया गया है के 1/2 [illegible] भाग का [illegible] मालिक काबिज व [illegible] है इसमें विक्रेता का कोई भागी व [illegible] नहीं है,

और जो कि विक्रेता को [illegible] भूमि के विक्रय के [illegible]

(ओ० पी० जैन)
स्टाम्प विक्रेता (देहरादून)

फीस रजि–नकल शुल्क–प्रति शुल्क योग–शब्द लगभग

श्री महेन्द्र सिंह
पुत्र श्री डोलचन्द
निवासी तिवला ...
ने आज दिनांक 7.2.92
समय 3/4 बजे
...

अथवा लेख पत्र का निष्पादन
...

महेन्द्र सिंह

स्वीकार किया

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

1000 रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हज़ार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

(2)

[illegible] के पिता ने एक इकरारनामा दिनांक [illegible] को श्री प्रवीन [illegible] पुत्र श्री [illegible] मित्र निवासी [illegible] [illegible] सहारनपुर रोड [illegible] देहरादून के साथ किया था, तथा [illegible] बही नं. 1 के जिल्द [illegible] के पृष्ठ [illegible] के नं. 13946 पर दिनांक [illegible] को पंजीकृत हुआ था. उक्त अनुबन्धपत्र के अन्तर्गत श्री प्रवीन मित्र को अधिकार दिया था कि वे विक्रयपत्र अपने नाम से अंकित करवायें अथवा अपने मनोनीत व्यक्ति/व्यक्तियों के नाम से पंजीकृत करायें. श्री प्रवीन मित्र ने विक्रेता को उक्त अनुबन्धपत्र के अन्तर्गत रजिस्ट्री हेतु मनोनीत किया है.

अतः विक्रेतागण उक्त विक्रयपत्र निष्पादित कर रहे हैं. विक्रीत की जाने वाली भूमि के स्वामी विक्रेता के पिता थे जिनकी [illegible] नामान्तरण दिनांक [illegible] को हो गया है तथा विक्रेता का नाम उनके स्थान पर रेवेन्यू रिकार्ड में अंकित हो गया है. विक्रेता को भूमि बेचने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है.

(ओ० पी० जैन)
स्टाम्प विक्रेता (देहरादून)

[illegible] एवं साक्षीगण ने चिन्ह
अंगूठा देने से इन्कार किया

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१०००रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

23 JAN [illegible]

(3)

और जो कि विक्रेता उक्त विक्रय [illegible] के अन्त मे भी सभी सम्पत्ति का मालिक भूमिधर है, कथित भूमि विक्रेता की पैतृक भूमि थी तथा रेवन्यू रिकार्ड मे भी विक्रेता का नाम आधे भाग के सम्बन्ध मे अंकित है, विक्रेता को निम्नलिखित भूमि विक्रय करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है. विक्रेता ने निम्न भूमि विक्रेतागण के हक मे मुबलिग 47650 रूपये अंकन सैतालीस हजार छै सौ पचास रूपये मे विक्रीत कर दी है मुबलिग 47650 रूपये विक्रेता को क्रेतागण ने नकद सब रजिस्ट्रार महोदय के समक्ष रजिस्ट्री के समय अदा कर दिये है, जिनकी प्राप्ति विक्रेता को एतद्द्वारा स्वीकार है,

और जो कि विक्रीत भूमि का निर्विवाद मालकाना [illegible] [illegible] विक्रेता ने मौके पर क्रेतागण को अपने तुल्य करा दिया है और आज से क्रेतागण उक्त सम्पत्ति के एकमात्र स्वामी व काबिज हो गये है और क्रेतागण को आज से पूर्ण अधिकार प्राप्त है कि वे उक्त सम्पत्ति को जिस प्रकार चाहे इस्तेमाल करे, निर्माण करे, विक्रय करे, और अब विक्रेता को [illegible] [illegible]

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

२००० रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

किसी उत्तराधिकारी को कोई आपत्ति किसी प्रकार की नहीं होगी.

और यो कि विक्रेता की बेची गयी संपत्ति के लगान कर लगान आदि आज से क्रेतागण अदा करेंगे और इसके पूर्व की जिम्मेदारी विक्रेता की होगी.

और यो कि यदि भविष्य में विक्रेता के स्वामित्व व अधिकार दोष के कारण विक्रेता की बेची गयी भूमि अथवा उसका कोई भाग क्रेतागण के कब्जे व स्वामित्व से निकल जावे तो ऐसी दशा में क्रेतागण को अधिकार होगा कि निकले हुये भाग की कीमत मय हर्जा खर्चा व [illegible] सहित विक्रेता व उसकी संपत्ति से जिस प्रकार चाहे प्राप्त कर लेवे.

क्रेतागण को अधिकार होगा कि वे राजस्व कागजों से विक्रेता का नाम खारिज कराकर अपना नाम [illegible] करा लेवे और इस बाबत क्रेतागण को किसी प्रकार से बजाये नाम लिखवाने [illegible] हो तो ऐसा हेतु क्रेतागण के [illegible] लिखने में विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं

200Rs.

INDIA NON JUDICIAL

२०० रु. Rs 200

भारत

दो सौ रुपये TWO HUNDRED RUPEES

(६)

जो कि प्रतिफल है पर स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है,

विवरण विक्रीत भूमि

~~[illegible]~~ (फ्री होल्ड नं [illegible]) खसरा नं २०९ [illegible] [illegible] NCSW [illegible] (04115 25 [illegible]) [illegible]
[illegible] १४० [illegible] .००२३ [illegible] (३६९.६७ [illegible]) स्थित ग्राम [illegible]

[illegible] परगना केन्द्रीय दून जिला देहरादून जिसको [illegible] [illegible] से [illegible]

[illegible] है तथा जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है :-

उत्तर में:- ३० फिट चौड़ी सड़क नाप ४२ फिट

दक्षिण में:- [illegible] की [illegible] [illegible] नाप ४२ फिट

पूरब में:- [illegible] की [illegible] [illegible] नाप ३३ फिट

पश्चिम में:- [illegible] [illegible] नाप ३४ फिट

[illegible]

10 Rs.

(7)

अतः यह विक्रयपत्र सम्पादित कर दिया कि प्रमाण रहे और

समय पर काम आवे। लिखित दिनांक [illegible] स्थान देहरादून.

हस्ता० ------------------

विक्रेता

साक्षी 1 ------------ साक्षी 2 ------------

टंकणकर्ता एवं फोटो प्रमाणितकर्ता:-

ड्राफ्टकर्ता:- दीपक कुमार [illegible] देहरादून.

(ओ० पी० जैन)
स्टाम्प विक्रेता (देहरादून)

बही नं... 1 जिल्द .... के पृष्ठ 39
में नं. 989 पर आज दिनांक .... 13/3/92 को रजिस्ट्री की गई .... के पृष्ठ 809/826

2 अतिरिक्त प्रति
क्र० सं० 410/92-93
23792

SITE PLAN OF PLOT OF LAND BEARING PART OF KH. No:- 409 SITUATED AT VILL. SEWLA KALAN PARGANA CENTRAL DOON. DEHRA DUN.

SOLD BY:- SH. MAHENDER SINGH S/o LATE SH. DAL CHAND R/o SEWLA KHURD D. DUN.

SOLD TO:- 1, VINEET JAIN, ANKEET JAIN SONS OF SH. C.P. VAISH & SMT. NIRMALA JAIN W/o SH. C.P. VAISH.

TOTAL AREA = 3597 SQFT. OR 399.67 SQYDS. OR 0.0823 ACRE.

$\frac{1}{2}$ UNDIVIDED SHARE IS BEING SOLD

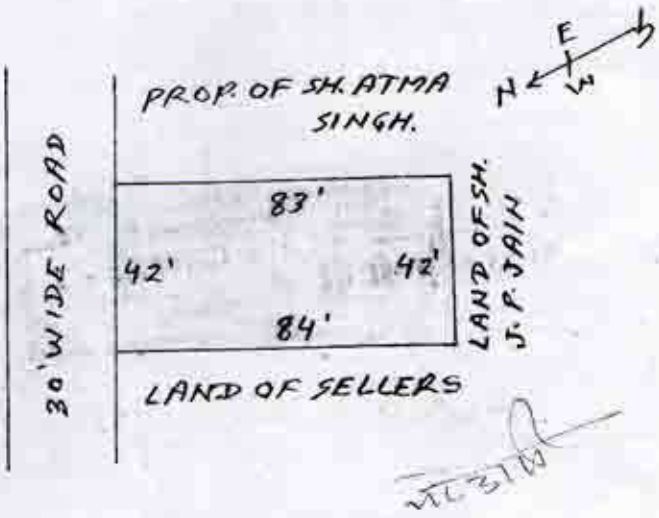

SIG. OF SELLER.